(303)

(179)

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल म•प्र• ग्वालियर सर्किल कोर्ट रीवाम•प्र•

COURT FEE 20 Rs. भारत INDIA बीस रुपये TWENTY RUPEES

Rs 20/-

358/4.7.14

R.2535-III/14

सोनईतनय निचकूपेशा खेती, निवासी ग्राम महखोर, तहसील-मझौली

जिला-सीधी म•प्र• ..... आवेदक

बनाम

1• कैलसुआ पति राममिलन केवट निवासी महखोर, तह• मझौली जिला

सीधी म•प्र•

2• मध्य प्रदेश शासन ....अनावेदकगण

श्री अभिलाषचन्द्र द्विवेदी एड
द्वारा आज दिनांक 09.7.14 के
प्रस्तुत किया गया
रीडर
सर्किट कोर्ट रीवा

निगरानी विरूद्ध आज्ञा श्री तहसीलदार उप

तहसील-म्हवास तह• मझौली जिला सीधीम•प्र•

बाबत प्रकरण क्र• 23अ/12/12/13आदेश दि•

25•4•2014 निगरानी अन्तर्गत धारा-50

म•प्र• भू• राजस्व संहिता 1959ई•

===================================

मान्यवर,

निगरानी के आधार निम्न है:-

॥1॥ यहकि अधीनस्थ न्यायालय की कार्यवाही व सीमांकन पुष्टि का आदेश विधि एवं प्रक्रिया के विपरीत है।

॥2॥ यहकि अनावेदिका क्र• 1 द्वारा धारा 129 म•प्र• भू• रा• संहिता के बने नियमों के प्रतिकूल दिये गये आवेदन पत्र व जानकारी के आधार पर सीमांकन की कथित कार्यवाही, है, जबकि नियम व चतुर्दिशा में काबिजदार व कास्तकार हितैसी व्यक्ति है तथा उनकानाम व पक्षकार बनाया जाना चाहिये किन्तु बिना पक्षकार बनाये ही आदेश को उनके पीठ पीछे सीमांकन की कार्यवाही अवैधिक है।

क्र• 2पर

(179)

राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ-अ

प्रकरण क्रमांक R. 2535-III/14 जिला सीधी

सोनई विरूद्ध फूलसुआ

1	2	3
16-1-19.	1. आवेदक की ओर से श्री अभिताब चतुर्वेदी अधिवक्ता के द्वारा यह ~~नायब~~ तहसीलदार तहसील मझौली में पारित आदेश प्रकरण क्रमांक 23/अ-12/2012-13 दिनांक 25.04.14 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है। म0प्र0 भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुये संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संथोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर सीधी के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। उभयपक्ष दिनांक 25.03.19 को कलेक्टर सीधी के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हो। सदस्य	